

प्रधानमंत्री आवास की लाटरी 30 अप्रैल 2025 को निगम भिलाई में

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में शासन की जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का निर्माण किया गया है। मकान के लिए पात्र हितग्राही जो अभी तक अंशदान की राशि जमा नहीं किए हैं वे 29 अप्रैल तक मकान का 10 प्रतिशत राशि जमा कर दें। जो हितग्राही मकान का 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा किये हैं, वे हितग्राही लाटरी में भाग लेकर अपने स्वयं के मकान के हकदार होंगे। लाटरी नगर निगम भिलाई मुख्य कार्यालय सभागार में 30.04.2025 को सुबह 11 बजे आयोजित है। संबंधित हितग्राही रसीद की कापी के साथ समय पर उपस्थित होकर लाटरी में शामिल हो सकते हैं। प्रमुख स्थल कृष्णा इंजीनियरिंग के पीछे खम्हरिया, एनार स्टेट खम्हरिया, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, माईल स्टोन स्कूल के पीछे खम्हरिया में निर्मित मकानों का आबंटन खुली लाटरी पद्धति के माध्यम से किया जायेगा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल का नागरिकों से अपील है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाए गये मकान बहुत मजबूत हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधा दी गई है, जो एक घर में होना चाहिए। बेडरूम, किचन, बाथरूम, टायलेट, बालकनी, सड़क, बिजली, पानी आदि सभी सुविधा युक्त हैं। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठावे, यह योजना आपके एवं आपके परिवार के लिए है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निर्देश दिया है कि गर्मी को देखते हुए नगर निगम भिलाई के सभागार में ही छोटे-छोटे टूकड़ों में आवास लाटरी की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। मकान प्रथम-आओ, प्रथम-पाओ की पद्धति है, जो भी आवेदन करेगा, 10 प्रतिशत राशि जमा करेगा। वह मकान की लाटरी में शामिल हो सकता है। जो किरायेदार है उसके पास कहीं मकान नहीं है, वह पहले फार्म जमा करें, जिस क्षेत्र में मकान लेना चाहता है वहां के लिए 10 प्रतिशत पैसा जमा कर दें। लाटरी आबंटन पश्चात पूरी राशि जमा कर देने पर मकान शीघ्र प्रदान कर दिया जायेगा।

